

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)  
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001  
दूरभाष: 0135-2650809  
फैक्स-0135-2653010  
ईमेल- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)



GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &  
CLIMATE CHANGE  
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)  
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001  
PHONE- 0135-2650809  
FAX- 0135-2653010  
Email- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)

फाईल संख्या: 8बी./यू.सी.पी./09/125/2015/एफ.सी./1449

दिनांक: 30/09/2019

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद -- अल्मोड़ा में चितई पंत से हरिदत्त पेटशाली इण्टर कॉलेज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43875 है0 वन भूमि का लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन। (online no. FP/UK/ROAD/9220/2015)

सन्दर्भ:-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक -- 760/FP/UK/ ROAD/9220/2014 दिनांक 13-09-2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र (EDS) दिनांक 07.08.2018 द्वारा प्रस्ताव पर वांछित सूचनायें चाही गई थी जिसकी अनुपालन आख्या में राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के उपरान्त विवरण प्रस्तुत किया गया है किन्तु प्रस्तावित मार्ग का औचित्य अभी भी स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रस्तुत विवरण एवम् नक्शों में निम्न कमियां पाई गई हैं:

1. प्रस्तावित मार्ग का 'start' एवम् 'end' point उल्टा मार्क किया हुआ प्रतीत होता है। अंकित start point पर कोई मार्ग उपस्थित प्रतीत नहीं हो रहा है।
2. ग्रामों एवम् उल्लेखित कॉलेज की स्थिति KML file पर अंकित नहीं की गई है।
3. डिजिटल मानचित्र के बिन्दु क0 '0' से बिन्दु क0 '40' के मध्य स्थिति habitation पूर्व से ही मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है।
4. डिजिटल मानचित्र के बिन्दु क0 '61' से प्रारम्भ हो कर बिन्दु क0 '50' तक प्रस्तावित मार्ग एक habitation को जोड़ रहा है किन्तु इस हेतु भी वैकल्पिक समरेखण के परीक्षण की आवश्यकता है क्योंकि इस समरेखण पर अत्यधिक मात्रा में वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
5. State Government may submit the justification of the project duly countersigned by DFO, in original.
6. State Government may correct the working plan detail at para at para 5, Part II online.

7. राज्य सरकार द्वारा पत्र में यह उल्लेखित है कि प्रस्ताव की मूल प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है जो कि इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य प्रस्तावों के उत्तर में भी यह कमी पाई जा रही है। अतः राज्य सरकार जवाब भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि पत्र में उल्लेखित सभी संलग्न उत्तर के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

अतः राज्य सरकार उपरोक्त लिखित बिन्दुओं पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,



(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

पत्रांक-मैत्री- 12- (2) दि. 1-10-19

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता निर्माण एवं लै. वि. अल्मोड़ा  
को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त मापदण्डों का निराकरण  
का निराकरण रचना इस कार्यालय को ऑन लाइन / ऑफिस लाइन  
उपलब्ध कराने का कष्ट करें

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा